भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

03.03.2016 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 807

परमाणु दायित्व संबंधी विधि

807. श्रीमती जया बच्चन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों में परमाणु दायित्व संबंधी विधि के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या रुख है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार की योजना विधि को संशोधित करने या इसे शिथिल करने की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) तथा (ख) कुछ देशों ने इससे पूर्व हमारे नाभिकीय क्षति हेतु असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 में, आपूर्तिकर्ता के दायित्व संबंधी मुद्दे पर आशंका व्यक्त की थी। ऐसी आशंकाओं का समाधान करने के लिए, विदेश मंत्रालय एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की वेबसाइटों पर 8 फरवरी, 2015 को 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' के अनुरूप स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*****